न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलराज मीणा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 71/17 दायर दिनांकः–08–11–17

निर्णय दिनांकः–28–05–18

श्री प्यारेलाल पिता कानजी मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी मोरूण्डी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0)
– वादी

–::बनाम::–

1. लछमण पिता कानजी जाति मीणा आयु वयस्क
2. सोहन पिता गोतीया जाति मीणा आयु वयस्क
3. हुमली बेवा गोतीया जाति मीणा आयु वयस्क
   निवासीयागण मोरूण्डी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज0)
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0)

–प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88, 188, रा0टी0एक्ट0

उपस्थितः–1–श्री अनिल पान्डे अभिभाषक वादी

–::निर्णय::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि वादी द्वारा एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,188, आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया है कि, वादी एवं प्रतिवादी कमांक 01 से 03 तक का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

कानजी(फोत)

1. गेतीया (पुत्र)(फोत) — 2. लछमण (पुत्र) — 3. प्यारा (पुत्र)

1. सोहन (पुत्र) — 2. सन्ताबाई (पुत्री) — 3. नर्मदा (पुत्री) — 4. हुमली (बेवा)

मोजा मोरूण्डी प0ह0 अचनारा तहसील अरनोद में नवीन खाता सख्या 12 पर निम्न आराजीयात स्थित है जिसके आराजी नम्बर 7 रकबा 0.48 है0 आराजी नम्बर 12

Scanned with CamScanner

है0 आराजी नम्बर 48 रकबा 0.09 है0 आराजी नम्बर 67 रकबा 0.16 है0 आराजी नम्बर 95 रकबा 0.02 है0 आराजी नम्बर 96 रकबा 1.05 है0 आराजी नम्बर 122 रकबा 0.76 है0 आराजी नम्बर 144 रकबा 1.40 है0 आराजी नम्बर 156 रकबा 0.55 है0 आराजी नम्बर 157 रकबा 0.05 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.93 है0 वादी एवं प्रतिवादी 1 से लगायात 3 कि पेतृक आराजी है जो सवत् 2019 से 2022 में वादी एवं प्रतिवादी कमांक 1 के पिता व प्रतिवादी कमांक 2 के दादा व प्रतिवादी कमांक 3 के ससुर कानजी के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी तथा कानजी कि मृत्यु हो जाने के बाद विरासत से प्रतिवादी कमांक 1 लछमण व प्रतिवादी कमांक 2 के सोहन के पिता व प्रतिवादी कमांक 3 हुमली के पति गोतीया के नाम पर दर्ज रिकार्ड हुई जिसमें वादी प्यारेलाल का नाम विरासत से दर्ज रिकार्ड होना रह गया था जबकी कि मृतक कानजी के जायन्दा वारिस उनके तीन पुत्र वादी प्यारेलाल व प्रतिवादी लछमण व गोतीया है और उक्त वर्णित आराजीयात पर मोखीक बटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपनें 1/3–1/3 हिस्से अनुसार विगत 40 वर्षो से अधिक समय से काश्त कर फसल बोते व लेते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड राजस्व विभाग कि गलती से वादी का नाम दर्ज रिकार्ड नही हुआ है. जबकी वाद कि चरण सख्या 2 में वर्णित सम्पुर्ण आराजीयात वादी कि पेतृक आराजी होने के नाते उक्त आराजीयात में वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहीत है।

वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 से लगाया 3 को वाद कि चरण 2 में वर्णित आराजी में अपना नाम अपने 1/3 हिस्से पर दर्ज रिकार्ड करवाने के लिए कई मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादी कमांक 1 से लगाया 3 वादी को टालम टोल का जवाब देते रहे और वादी को मुखालते में रख कर प्रतिवादी कमांक 2 व 3 ने वाद कि चरण सख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर अपनी बहन सन्ताबाई के हिस्से का हकत्याग करवाकर बैक ऑफ बडोदा कि शाखा दलोट से ऋण लेलीया है और वादी ने प्रतिवादी कमांक 1 से लगायात 3 को ऋण जमा करवा कर वादी के हिस्से कि आराजी अपने नाम करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी कमांक 1 से लगायात 3 ने वादी के साथ लडाई झगडा किया और कहा कि तुमें तुम्हारे हिस्से कि आराजी चाहीए तो कोर्ट में जाकर अपने नाम पर करवालो ।

वादी अधिकारी हे कि उक्त गाव मोरूण्डी कि आराजी नम्बर 7,12,48,67,95,96,122,144,156,157 किता 10 जुमला रकबा 5.93 है0 आराजी में अपने 1/3 हिस्से पर वादी को निरन्तर 40 वर्षा से अधिक समय से कब्जा काश्त होने से तथा उक्त आराजीयात वादी कि पेतृक आराजीयात होने से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने व उक्त आराजी पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है एवं जो ऋण प्रतिवादी कमांक 2 व 3 ने ले रखा है

Scanned with CamScanner

उक्त ऋण प्रतिवादी कमांक 2 व 3 के हिस्से पर यथावत रखा जावे प्रतिवादी कमांक 4 को लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनायागया है।

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमायी जावेः—

वादग्रस्त गाव मोरूण्डी कि आराजी नम्बर 7,12,48,67,95,96,122,144,156,157 किता 10 जुमला रकबा 5.93 है0 आराजी में वादी को अपने 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादी कमांक 2 व 3 ने बैक ऑफ बडोदा कि शाखा दलोट से जो ऋण लिया हुआ है वह उनके हिस्से पर यथावत रखा जावे ।

प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत 3 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका व पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी को रहन विक्रय नही करे मदाखलत मजाहमत नही करे तथा वादी को उसके 1/3 हिस्से कि आराजी पर काश्त करने में रोक रूकावट नही करे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को नोटीस तामील किये गये प्रतिवादी कमांक 1 ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर सहमती का जवाब प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार होने में अपनी सहमती जाहीर कि शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामील उपस्थित नही हुऐ अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये । प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा वाद में सहमती का जवाब प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादी कमांक 2 से लगायात 4 के विरूद्व दिनांक 10/05/2018 को एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से वाद में वाद बिन्दु का निर्धारण नही किया गया वादी ने स्वयं उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये तथा अपने साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2069—2072 गाव मोरूण्डी कि खाता सख्या 12 कि नकल (प्रदर्श—1) जमाबन्दी सवत् 2019—2022 कि (प्रदर्श—2) मिलान क्षेत्रफल भू—प्रबधं गाव मोरूण्डी किआराजी नम्बर 7,12,48,67,95,96,122,144,156,157 किता 10 जुमला रकबा 5.93 है0 आराजी का प्रस्तुत किया जो (प्रदर्श—3) है । वादी के बयान दर्ज किये गये । साक्ष्य प्रदर्श करवाये गये। वादी वकील कि एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । निर्णय निम्न अनुसार है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत सहमती के जवाब उक्त विवेचन के प्रकाश में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को गाव मोरूण्डी कि आराजी नम्बर 7,12,48,67,95,96,122,144,156,157 किता 10 जुमला रकबा 5.93 है0 आराजी पर अपने 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया

Scanned with CamScanner

जाता है तथा वादी का नाम उक्त खाते में 1/3 हिस्से पर जोडने का आदेश दिया जाता है । इस आशय कि डिक्री जारी हो । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with CamScanner